प्रेस नोट–213/2026
दिनांक 18.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर कासगंज पुलिस द्वारा, 25 वर्षीय युवक की, 10 मिनट में, बचायी गयी जान

- **आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कासगंज पुलिस ने मात्र 10 मिनट में पहुंचकर 25 वर्षीय युवक का जीवन बचाया।**
- **दिनांक 18-04-2026 को पत्नी के मायके से वापस ना आने के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई।**
- **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय को प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन ट्रेस कर जनपद कासगंज पुलिस को सूचित किया गया।**
- **दिनांक 01-01-2023 से 15-04-2026 तक इस पहल के अंतर्गत कुल 2539 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की जा चुकी है।**

दिनांक 18-04-2026 को जनपद कासगंज के थाना कासगंज निवासी 25 वर्षीय युवक द्वारा, **एक शीशी से कीटनाशक दवा पीते हुए तथा "गुड बाय" यह टेक्स्ट लिखकर, इंस्टाग्राम पर** वीडियो पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक-18-04-2026 को रात्रि 03:18 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद कासगंज को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर **थाना कासगंज के उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के मात्र 10 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए**। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों को युवक द्वारा किए गए पोस्ट की जानकारी देते हुए, अविलंब युवक के कमरे में पहुंचे तो देखा कि युवक के हाथ में एक शीशी है और वह अपने गले को बार-बार पकड़ रहा था एवं ज़ोर ज़ोर से खाँस रहा था। पुलिसकर्मियों द्वारा परिजनों के सहयोग से युवक को तत्काल नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ पर चिकित्सक द्वारा युवक का उपचार कर के उसको घर भेज दिया गया।

युवक के सामान्य होने के उपरांत पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पूछताछ में उसके द्वारा बताया कि वह एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है। युवक की पत्नी करीब छः माह से अपने मायके में ही रह रही है और बार-बार बुलाने पर भी वह युवक के पास वापस नहीं आ रही है, जिस करण वह परेशान था एवं अवसादग्रस्त हो गया , इसी के परिणामस्वरूप उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और उसने यह कदम उठा लिया।

पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01-01-2023 से 15-04-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 2539 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**

उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards- 2026 से सम्मानित किया गया है।

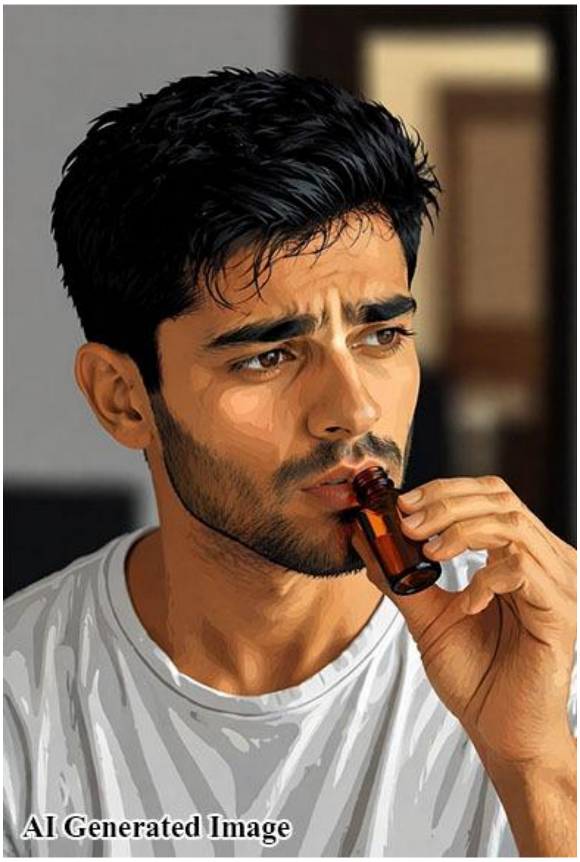

प्रेस नोट–214/2026
दिनांक 18.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 17.04.2026 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काशीपुरम कालोनी सीर गोवर्धन पुर में बबूल के पेड़ के पास से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1–मो0 शारिक जमाल 2–रेयाज अकरम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लंका पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 शारिक जमाल निवासी जक्खा आजाद नगर बजरडीहा थाना भेलूपुर, वाराणसी।

2–रेयाज अकरम निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर, वाराणसी।

बरामदगी

1–लगभग 40 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

<u>जनपद हाथरस/थाना सासनी</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 18.04.2026 को थाना सासनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्पर्श कोल्ड सासनी रोड से अभियुक्त विकास को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सासनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सासनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विकास निवासी जलालपुर थाना सासनी जनपद हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के सफेद धातु के आभूषण।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त डालचंद्र को आजीवन कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना भीमपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना भीमपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जन्टी चौहान को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———